राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : स्वदीप सिंह
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 301–दो/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 27–9–2011 पारित द्वारा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण कमांक 91/अपील/2007–08.

साबिर खां (मृत) आ0 गफूर खां
निवासी गर्ल्स स्कूल के पास बेगमगंज
तहसील बेगमगंज, जिला रायसेन
वारिसान–

1– हाजरा वी पुत्री स्व. साबिर खां
2– मो0 माजिद पुत्र स्व. साबिर खां
3– रेशमा वी पुत्री स्व. साबिर खां
4– सगुफ्ता वी पुत्री स्व. साबिर खां
5– मो0 आरिफ पुत्र स्व. साबिर खां नाबालिग
बली बड़ा भाई मो0 माजिद
6– मो0 आसिफ पुत्र स्व. साबिर खां नाबालिग
द्वारा बली मो0 माजि
हाल निवास सभी निवासीगण बाणगंगा भोपाल
जिला भोपाल .....आवेदकगण

विरूद्ध

1– अशोक कुमार आत्मज गनेश
2– दौला बाई विधवा गनेश
3– रघुवीर आत्मज गनेश
निवासीगण नगर पालिक परिषद के पीछे, बेगमगंज,
तहसील बेगम गंज, जिला रायसेन .....अनावेदकगण

श्री जगदीश जैन, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री नीरज श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(पारित दिनांक 30 मई, 2014)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–9–2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि आवेदकगण के पूर्वज स्व. साबिर खां द्वारा तहसीलदार, बेगमगंज, जिला रायसेन न्यायालय में संहिता की धारा 109 एवं 110 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उसके दादा मास्टर आलम खां द्वारा दिनांक 30–11–61 को कस्बा बेगमगंज स्थित भूमि सर्वे कमांक 690 रकबा 0.67 डिसमिल गनेश प्रसाद से पंजीकृत विकय पत्र के माध्यम से कय की गई थी तथा उसी समय उनके द्वारा कब्जा प्राप्त कर लिया गया था । मास्टर आलम खां का स्वर्गवास हो चुका है, और वह उनका एकमात्र वारिस है । वर्तमान में प्रश्नाधीन भूमि अनावेदकगण अशोक कुमार, रघुवीर एवं दौला बाई के नाम दर्ज है, अतः उनके स्थान पर उसका नामांतरण किया जाये । तहसीलदार द्वारा दिनांक 29–8–2006 को आदेश पारित कर मृतक साबिर खां का नामांतरण स्वीकार किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश से व्यथित होकर अनावेदकगण द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, बेगमगंज, जिला रायसेन के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 18–6–2007 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश स्थिर रखते हुए अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 27–9–2011 को आदेश पारित अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसील न्यायालय के आदेश निरस्त किये जाकर द्वितीय अपील स्वीकार की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया आवेदकगण के पूर्वज स्व. आलम खां द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पंजीकृत विकय पत्र के माध्यम से

क्रय की गई है, और पंजीकृत विक्रय पत्र की जांच करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है । यह भी कहा गया कि यदि विक्रय पत्र अवैध अथवा फर्जी है, तब उसे सक्षम न्यायालय से निरस्त कराना चाहिए, परन्तु जब तक पंजीकृत विक्रय पत्र अस्तित्व में हैं, तब तक उसके आधार पर किया गया नामांतरण निरस्त नहीं किया जा सकता है ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण के पूर्वज स्व. साबिर खां द्वारा 45 वर्ष पश्चात पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण की मांग की गई है, और 45 वर्ष के विलम्ब का कोई कारण नहीं दर्शाया गया है, जबकि नामांतरण हेतु 6 माह के अन्दर आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का प्रावधान है । इस आधार पर कहा गया कि इतने वर्ष पश्चात तहसीलदार द्वारा नामांतरण करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि 45 वर्ष पूर्व निष्पादित विक्रय पत्र के आधार पर स्वत्व प्रदान करने का अधिकार राजस्व न्यायालयों को नहीं होकर व्यवहार न्यायालय को है।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण से स्पष्ट है कि तहसीलदार के समक्ष आवेदकगण के पूर्वज स्व. साबिर खां द्वारा दिनांक 30–11–61 को निष्पादित विक्रय पत्र के आधार पर दिनांक 7–7–2005 को लगभग 45 वर्ष पश्चात नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, इस दौरान क्रेता एवं विक्रेता दोनों की ही मृत्यु हो चुकी है । स्व. साबिर खां द्वारा अपने आवेदन पत्र में यह नहीं दर्शाया गया है कि लगभग 45 वर्षों तक उसके दादा स्व. आलम खां द्वारा एवं उसकी मृत्यु के पश्चात उसके वारिसान द्वारा नामांतरण हेतु कार्यवाही क्यों नहीं की गई । लगभग 45 वर्ष पश्चात प्रस्तुत आवेदन पत्र के आधार पर नामांतरण की कार्यवाही किया जाना न तो वैधानिक दृष्टि से उचित है, और न ही न्यायिक दृष्टि से, क्योंकि इस अवधि में विक्रेता के वारिसानों का नामांतरण हो चुका है, और प्रश्नाधीन भूमि के सम्बन्ध में स्वत्व का गंभीर प्रश्न उत्पन्न हो गया है, जिसका निराकरण व्यवहार न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है । अतः स्पष्टतः तहसील न्यायालय द्वारा स्व. साबिर खां के पक्ष में नामांतरण आदेश पारित करने में पूर्णतः अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है, और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसील न्यायालय के विधि विपरीत आदेश की पुष्टि करने में

त्रुटि की गई है । यहां यह भी उल्लेखनीय है कि तहसीलदार द्वारा इस वैधानिक स्थिति पर कोई विचार नहीं किया गया कि गनेश राम की मृत्यु के पश्चात उसके वारिसान का प्रश्नाधीन भूमि पर नामांतरण हो चुका है, और नामांतरण के समय आवेदकगण के पूर्वज स्व. साबिर खां द्वारा किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं की गई है । दर्शित परिस्थितियों में अपर आयुक्त द्वारा तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त करने में पूर्णतः विधिसम्मत कार्यवाही की गई है, इसलिये अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–9–2011 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर